ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ
मुख्यालय
CORPORATE OFFICE
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED

CO/SEC/4(7)/2025-26/ BSE & NSE Filing/33 1st August, 2025

BSE Limited Listing Department Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001	National Stock Exchange of India Ltd Listing Department Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051

Sub: 62nd Annual General Meeting - Newspaper Advertisement

Ref: BSE Scrip Code: 541154, NSE Symbol: HAL

***

In terms of Regulation 30 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, this is to inform that 62nd Annual General Meeting of the Company will be held on **Thursday, 28th August, 2025 at 1530 Hours**.

2. In this regard, we are enclosing herewith a copy of newspaper advertisement published on 1st August, 2025 in the edition of “The Economic Times”, “Vijaya Karnataka”, “Rajasthan Patrika” and “Dainik Bhaskar” w.r.t Notice of the 62nd Annual General Meeting, e-voting information and record date for final dividend.

3. This is for information and record, please.

***

Thanking You

Yours Faithfully
For Hindustan Aeronautics Ltd

SHAILESH BANSAL
Digitally signed by SHAILESH BANSAL DN: c=IN, o=Personal, title=9169, 2.5.4.20=d1120e1c3f72cf7097012ef928be08804d3090934487ff7b7b572cbd825a37a3, postalCode=560093, st=Karnataka, serialNumber=2fa74fb29e5b22e3f69ce9f4b2744722d3b2e10640bec0245509ef4767c45738, cn=SHAILESH BANSAL Date: 2025.08.01 12:09:59 +05'30'

(Shailesh Bansal)
Company Secretary & Compliance Officer

15/1, ಕಬ್ಬನ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ, 15/1, कब्बन रोड, बेंगलूर - 560 001, कर्णाटक, भारत
15/1, Cubbon Road, Bangalore - 560 001, Karnataka, India
ದೂರವಾಣಿ (दूरभाष) Ph. : +91-80-2232 0001, 2232 0475, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ (फैक्स) Fax : +91-80-2232 0758
ಇ ಮೇಲ್ (ई) Email : cosec@hal-india.co.in
CIN: L35301KA1963GOI001622

www.hal-india.co.in

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ VK

ಶುಕ್ರವಾರ,1 ಆಗಸ್ಟ್ 2025,
ಬೆಂಗಳೂರು

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್)

ಸಿಐಎನ್: L35301KA1963GOI001622

A Maharatna CPSE

ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ: 15/1, ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು–560001

ದೂರವಾಣಿ: 080–22320001 ಇ–ಮೇಲ್: investors@hal-india.co.in

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.hal-india.co.in

62ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಇ–ಮತದಾನ ಮಾಹಿತಿಯ ಸೂಚನೆ

ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಉಪಬಂಧಗಳು, ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು SEBI (ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು) ನಿಬಂಧನೆಗಳು, 2015 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: 5ನೇ ಮೇ, 2020ರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ (ಎಂಸಿಎ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 20/2020 ಓದಿಕೊಂಡಂತೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ತದನಂತರದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SEBI) ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 09/2024 ದಿನಾಂಕ: 19ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2024 (ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ "ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು" ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗುವುದು) ಅನುಸರಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಎಜಿಎಂನ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ('ನೋಟೀಸ್') ತಿಳಿಸಿರುವ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕಂಪನಿಯ 62ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು (ಎಜಿಎಂ) **ದಿನಾಂಕ 28ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, 2025ರ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಗಂಟೆಗೆ** ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ (ವಿಸಿ)/ಇತರೆ ದೃಶ್ರಾವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ (ಓಎವಿಎಂ) ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

62ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಮತ್ತು 2024–25 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ/ ಠೇವಣಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ(ಗಳು) ರೊಂದಿಗೆ ಇ–ಮೇಲ್ ಐಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಡಿಪಿ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಐಡಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸದಿರುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ವೆಬ್‌ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.hal-india.co.in/Investors ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಡ್ ಷೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ ಏಜೆಂಟ್, KFin ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ("The RTA")ನ್ನು https://evoting.kfintech.com ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಬಿಎಸ್‌ಇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ www.bseindia.com ಮತ್ತು www.nseindia.com ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಜಿಎಂ ನ ಸೂಚನೆಗಳು ಇ–ಮೇಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ 30/07/2025 ರೊಳಗೆ ತಲುಪಲಿವೆ.

1. ಇ–ವೋಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ವಿಧಾನ:

ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ, 2013 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 108ರ ಅನುಸಾರ, SEBI (LODR) ನಿಯಮಗಳು, 2015ರ ನಿಯಮ 44ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಓದಲಾಗಿದ್ದು, ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ:

i) ಕಂಪನಿಯು ಇ–ಮತದಾನದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು KFin Technologies Ltd.("KFin tech") ಅನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ii) ಇ–ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು M/s SNM & Associates, ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

iii) ರಿಮೋಟ್ ಇ–ಮತದಾನದ ಅವಧಿಯು ಭಾನುವಾರ, 24ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, 2025 ರಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡು (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆ ಐಎಸ್‌ಟಿ) ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ, 27ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, 2025 ರಂದು (ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆ ಐಎಸ್‌ಟಿ) ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

iv) ಕಟ್–ಆಫ್ ದಿನಾಂಕದಂದು, ಅಂದರೆ ಗುರುವಾರ, 21ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, 2025 ರಂದು ಸದಸ್ಯರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಠೇವಣಿದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರಿಮೋಟ್ ಇ–ವೋಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಜಿಎಂನಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

v) 62ನೇ ಎಜಿಎಂನ ಸೂಚನೆ ರವಾನೆಯ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗುವ ಮತ್ತು ಕಟ್–ಆಫ್ ದಿನಾಂಕದಂದು, ಅಂದರೆ 21ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, 2025 ರಂದು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ evoting@kfintech.com ಅಥವಾ einward.ris@kfintech.com ಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

vi) ಬುಧವಾರ, 27ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, 2025 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ರಿಮೋಟ್ ಇ–ವೋಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತದಾನದ ನಂತರ ರಿಮೋಟ್ ಇ–ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು KFin tech ಮೂಲಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

vii) ಎಜಿಎಂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಇ–ವೋಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸದ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸದ ಸದಸ್ಯರು ಎಜಿಎಂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇ–ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

viii) ರಿಮೋಟ್ ಇ–ವೋಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎಜಿಎಂ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲೇ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಎಜಿಎಂಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ix) ಇ–ಮತದಾನದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಸದಸ್ಯರು 62ನೇ ಎಜಿಎಂ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಇ–ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಗಳು / ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರು https://evoting.kfintech.com ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು Frequently Asked Questions (FAQs) ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಸ್ವಾತಿ ರೆಡ್ಡಿ, KFin ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇವರನ್ನು ಶುಲ್ಕರಹಿತ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1800 3094001 ಅಥವಾ ಇ–ಮೇಲ್ ಐಡಿ: einward.ris@kfintech.com ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇ–ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಇ–ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸದಸ್ಯರು, ಎಲ್ಲಾ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಠೇವಣಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು (ಡಿಪಿ) ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.

2. ಅಂತಿಮ ಲಾಭಾಂಶದ ದಾಖಲೆ ದಿನಾಂಕ:

ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, 27ನೇ ಜೂನ್, 2025 ರಂದು ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ರೂ.15/– ಅಂತಿಮ ಲಾಭಾಂಶವೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವರು. ಸದಸ್ಯರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಅಂತಿಮ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ. ದಾಖಲೆ ದಿನಾಂಕದಂದು, ಅಂದರೆ ಗುರುವಾರ, 21ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, 2025 ರಂದು ಸದಸ್ಯರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ, ಸದಸ್ಯರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.

3. ಲಾಭಾಂಶದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ:

i) ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1961 (ಕಾಯ್ದೆ) ರಿಂದ ಆದೇಶಿಸಿದಂತೆ, ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡದ ಹೊರತು, ಅಂತಿಮ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ii) ನಿವಾಸಿ ಮತ್ತು ಅನಿವಾಸಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಟಿಡಿಎಸ್ / ತಡೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ದರಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುಸಾರ ನಿಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.

iii) ಸೂಕ್ತವಾದ ಟಿಡಿಎಸ್ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು 21ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, 2024ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು https://ris.kfintech.com/form15/default.aspx ನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಣಯ/ ಕಡಿತದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಸಹಿ/–

(ಶೈಲೇಶ್ ಬನ್ಸಲ್)

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ & ಅನುಸರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು

ದಿನಾಂಕ: 31/07/2025

HAL
— A Maharatna CPSE —

HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)
CIN: L35301KA1963GOI001622

Regd. Office: 15/1, Cubbon Road, Bengaluru-560001
Tel.: 080-22320001 E-mail: investors@hal-india.co.in
Website: www.hal-india.co.in

NOTICE OF THE 62[ND] ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

In compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013, Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent Circulars issued from time to time, General Circular No 09/2024 dated September 19, 2024 and other relevant Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) from time to time, (hereinafter collectively referred to as "Circulars"), **NOTICE** is hereby given that the 62[nd] Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Thursday, August 28, 2025 at 3.30 P.M. (IST)** through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business set out in the Notice of the AGM ('Notice').

Though the Notice of the 62[nd] AGM and Annual Report 2024-25 have already been sent to all the members through electronic mode whose E-mail IDs are registered with the Depository Participant(s), Members who require physical copy of the Annual Report, may request for the same, mentioning their DP ID and Client ID. Further, members whose email address are not registered with the Depositories, a letter providing the web-link, through which Annual Report can be accessed, is also being sent to them. These documents are also made available on the website of the Company, Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("the RTA") and Stock Exchange i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.hal-india.co.in/Investors, https://evoting.kfintech.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. It may be noted that the activity of sending Notice of the AGM & Annual Report have been completed on 30/07/2025.

1. Manner of casting vote through e-voting:

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with applicable rules made thereunder and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, members are provided with the facility to cast their vote by electronic means on all the resolutions set out in the Notice. In this connection, Members are hereby informed that:

i) Company has engaged KFin Technologies Ltd. ("KFintech") as the Agency to provide e-voting facility.

ii) M/s SNM & Associates, Company Secretaries, Bengaluru has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

iii) The remote e-voting period will commence on Sunday, August 24, 2025 (9.00 A.M. IST) and ends on Wednesday, August 27, 2025 (5.00 P.M. IST).

iv) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date, i.e. Thursday, August 21, 2025, will only be entitled to avail the facility of remote e-voting / voting in AGM.

v) Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of Notice of the 62[nd] AGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. August 21, 2025 may obtain the login ID and password by following the procedure as mentioned in the Notice for the AGM or send a request to evoting@kfintech.com or einward.ris@kfintech.com.

vi) Remote e-voting will not be allowed beyond 5.00 P.M. (IST) on Wednesday, August 27, 2025, and will be disabled by KFintech thereafter.

vii) Members who could not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM.

viii) The members who cast their votes by remote e-voting prior to the date of AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.

ix) For e-voting instructions, members may go through the instructions in the Notice for 62[nd] AGM. In case of any queries / grievances in connection with e-voting, members may refer the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) available at https://evoting.kfintech.com or may contact to Ms B Swati Reddy, KFin Technologies Ltd, at Toll free number 1800 309 4001 or at e-mail id: einward.ris@kfintech.com.

Members who have not registered their e-mail addresses and mobile number so far or who want to update their e-mail address and mobile number, are requested to approach their respective Depository Participants (DP) for receiving all communications electronically.

2. Record Date for Final Dividend:

Members may note that the Board of Directors at their meeting held on June 27, 2025 has recommended a final dividend of Rs. 15/- per share. On approval, the same will be paid to the Members, whose names appear in the Register of Members, as on the Record Date, i.e. Thursday, August 21, 2025 through permissible modes.

3. Tax on Dividend:

i) As mandated by the Income Tax Act, 1961 (Act), unless otherwise exempted, Tax at Source (TDS) at applicable rates, shall be deducted at the time of making payment of the dividend.

ii) Since the TDS / withholding tax rates are different for resident and non-resident Members, if there is a change in your residential status, as per the provisions of the Act, you are requested to get your residential status updated before Record Date in your demat account.

iii) In order to enable the Company to determine the appropriate TDS/ withholding tax rate applicability and to verify the documents and provide exemption, Members are requested to upload the requisite documents at https://ris.kfintech.com/form15/default.aspx on or before Record Date i.e. August 21, 2025. No communication on the tax determination / deduction shall be entertained thereafter.

By order of the Board of Directors
For Hindustan Aeronautics Ltd.
Sd/-
(Shailesh Bansal)
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Bengaluru
Date: 31/07/2025

राजस्थान पत्रिका patrika.com
बेंगलूरु, शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025

हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
सीआईएन : L35301KA1963GOI001622
पंजीकृत कार्यालय : 15/1, कब्बन रोड, बेंगलूरु-560001
दूरभाष : 080-22320001 ई-मेल : investors@hal-india.co.in
वेबसाइट : www.hal-india.co.in

62वाँ वार्षिक आम बैठक एवं ई-वोटिंग सूचना संबंधी नोटिस

कंपनी अधिनियम 2013, जिसके अधीन बनाए गए नियम एवं सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 मई 2020 के सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 एवं तत्पश्चात् समय-समय पर जारी परिपत्र, दिनांक 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र सं.09/2024 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी परिपत्रों (इसके बाद से सामूहिक रूप से इन्हें **'परिपत्रों'** के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के अनुपालन में, इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि एजीएम ('नोटिस') की सूचना में यथावर्णित कारोबार करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से **गुरुवार, दिनांक 28 अगस्त, 2025 को अपराह्न 3.30 बजे (आईएसटी)** 62वाँ वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन किया जाएगा।

62वाँ वार्षिक आम बैठक की नोटिस एवं वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 इलेक्ट्रॉनिक मोड से उन सभी सदस्यों को पहले ही प्रेषित की जा चुकी है, जिनकी ई-मेल आईडी डिपाजिटरी सहभागी (यों) के साथ रजिस्टर्ड हैं। ऐसे सदस्य, जिन्हें वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रति की आवश्यकता है, तो वे अपनी डीपी आईडी और ग्राहक आईडी का उल्लेख करते हुए इसके लिए अनुरोध कर सकते हैं। आगे, ऐसे सदस्य, जिनकी ईमेल आईडी डिपाजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें वेब-लिंक प्रदान करते हुए एक पत्र प्रेषित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वे वार्षिक रिपोर्ट देख सकते हैं। इन दस्तावेजों को कंपनी की वेबसाइट, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रान्सफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("दि आरटीए") एवं स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः https://hal-india.co.in/Investors, https://evoting.kfintech.com, www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर उपलब्ध किया गया है। यह नोट किया जाए कि एजीएम की नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करने से संबंधित कार्य दि. 30/07/2025 को पूरा किया गया है।

1. ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान (वोट) करने की पद्धतिः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं इसके तहत बनाए गए लागू नियम तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, नोटिस में यथावर्णित सभी संकल्पों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान (वोट) करने की सुविधा सभी सदस्यों को प्रदान की जाती है। इस संबंध में, सभी सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है किः

i) कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("केफिनटेक") को एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

ii) मेसर्स एसएनएम एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, बेंगलूरु को ई-वोटिंग प्रक्रिया की समुचित एवं पारदर्शी पद्धति की जाँच करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

iii) इस रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, दिनांक 24 अगस्त, 2025 (पूर्वाह्न 9.00 बजे आईएसटी) से प्रारंभ होगी एवं बुधवार, दिनांक 27 अगस्त, 2025 (सायं 5.00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी।

iv) जिस किसी व्यक्ति का नाम, अंतिम तिथि (कट-ऑफ) अर्थात् गुरुवार, दिनांक 21 अगस्त, 2025 तक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा रखे जा रहे रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स में रिकार्ड किया गया है, वही व्यक्ति वार्षिक आम बैठक में रिमोट ई-वोटिंग / वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगें।

v) कोई व्यक्ति, जो 62वाँ एजीएम नोटिस के प्रेषण के पश्चात कंपनी के शेयर अर्जित करते हैं तथा कंपनी के सदस्य बनते हैं और अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) अर्थात् दिनांक 21 अगस्त, 2025 तक शेयर धारित करते हैं, तो वे एजीएम के नोटिस में यथा उल्लिखित प्रक्रिया को अपनाते हुए अथवा evoting@kfintech.com या einward.ris@kfintech.com पर अपना अनुरोध प्रेषित करते हुए लॉग-इन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

vi) बुधवार, दिनांक 27 अगस्त 2025, सायं 5.00 बजे (आईएसटी) के पश्चात् रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके उपरांत, केफिनटेक द्वारा इसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

vii) ऐसे सदस्य, जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना मतदान नहीं कर पाएंगे एवं अन्यथा ऐसा करने के लिए जिन्हें प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने हेतु पात्र होंगे।

viii) वार्षिक आम बैठक की तिथि से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करनेवाले सदस्य भी बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन वें पुनः अपना मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

ix) ई-वोटिंग संबंधी अनुदेशों के लिए, सदस्य 62वाँ वार्षिक आम बैठक की नोटिस के अनुदेशों को देख सकते हैं। सभी सदस्य, ई-वोटिंग के संबंध में कोई भी प्रश्न/ शिकायत की स्थिति में, http://evoting.kfintech.com पर उपलब्ध सहायता एवं अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्नों (एफएक्यू) को देख सकते हैं अथवा इस संबंध में सुश्री बी स्वाति रेड्डी, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से टोल फ्री नं. 1800 309 4001 या ई-मेल आईडी: einward.ris@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं।

ऐसे सदस्य, जिन्होंने अब तक अपनी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं किए हैं अथवा जो अपनी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर को अद्यतन करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सभी पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने हेतु अपने संबंधित डिपाजिटरी सहभागी (डी.पी.) से संपर्क करें।

2. अंतिम लाभांश हेतु रिकार्ड तिथि

सभी सदस्य कृपया नोट करें कि निदेशक मंडल ने दिनांक 27 जून 2025 को आयोजित अपनी बैठक में प्रति शेयर रु.15/- के अंतिम लाभांश के संबंध में संस्तुति दी है। अनुमोदन के उपरांत, रिकार्ड तिथि तक, अर्थात् गुरुवार, दिनांक 21 अगस्त, 2025 तक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में दर्शाए गए सभी सदस्यों को अनुमेय मोड द्वारा से अंतिम लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

3. लाभांश संबंधी कर

i) आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) के अनुसार, अन्यथा छूट न दी जाए, लाभांश का भुगतान करते समय लागू दरों के अनुसार स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की जाएगी।

ii) चूँकि निवासी और अनिवासी सदस्यों के लिए टीडीएस/ कर कटौती दर (विथहोल्डिंग टैक्स रेट्स) भिन्न हैं, यदि आपके आवासीय विवरण में कोई परिवर्तन है, तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आपसे अनुरोध है कि रिकार्ड तिथि से पूर्व अपने डीमैट एकाउंट में अपने आवासीय विवरण को अद्यतन करें।

iii) कंपनी को उपयुक्त लागू टीडीएस/ कर कटौती दर (विथहोल्डिंग टैक्स रेट) के निर्धारण और दस्तावेजों के सत्यापन करने तथा छूट प्रदान करने संबंधी निर्धारण हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे रिकार्ड तिथि अर्थात् दिनांक 21 अगस्त, 2025 तक या उससे पूर्व अपेक्षित दस्तावेजों को https://ris.kfintech.com/form15/default.aspx पर अपलोड करें। उक्त अवधि के पश्चात् कर निर्धारण/ कटौती के संबंध में किसी तरह के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
ह/-
(शैलेश बंसल)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 31/07/2025

मध्य प्रदेश में सिंचाई क्रांति • कुल रकबा 52.06 लाख हेक्टेयर

19 माह में 7.5 लाख हेक्टे. भूमि सिंचित, पहले 56 साल लगे थे

उपलब्धि... आजादी के बाद 2003 तक 7.6 लाख हेक्टेयर रकबा था, बीते 19 माह में इतना ही बढ़ा

चुनौती... प्रदेश में कुल 158.48 लाख हेक्टेयर में बोवनी होती है... अभी हमारा लक्ष्य 100 लाख हेक्टेयर है

विशेष संवाददाता | भोपाल

मप्र की खेती अब मौसम की मेहरबानी पर नहीं, बल्कि योजनाबद्ध सिंचाई व्यवस्था की ताकत पर खड़ी हो रही है। जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभाग की विधानसभा में पेश रिपोर्ट के मुताबिक, बीते 19 महीनों में राज्य ने जितना सिंचाई रकबा जोड़ा, उतना आजादी के बाद जोड़ने में 56 साल लग गए थे। साल 2003 तक मप्र में कुल सिंचित भूमि महज 7.68 लाख हेक्टेयर थी। अब जुलाई 2025 तक यह आंकड़ा 52.06 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। इसमें से 7.5 लाख हेक्टेयर 19 माह में जुड़ा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि 2030 तक 100 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए निर्माणाधीन और स्वीकृत परियोजनाओं से 48.62 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त रकबे को कवर करने की योजना है। बता दें कि मप्र में कुल बोवनी भूमि का रकबा 158.48 लाख हेक्टेयर है। वर्तमान में 100 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबा सिंचित नहीं है।

2003 तक कहां खड़े थे हम

वर्ष	जल संसाधन	नर्मदा घाटी	कुल रकबा
दिसंबर 2003	7.67	0.016	7.68
दिसंबर 2015	27.50	5.01	32.51
दिसंबर 2023	37.67	6.89	44.56
जुलाई 2025(अनुमान)	40.06	12.00	52.06

▪ सभी आंकड़े लाख हेक्टेयर में

▪ 2003 से 2025 के बीच कुल 44.38 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई क्षमता जोड़ी गई है। इनमें से भी 2013 से 2023 के बीच 10 साल में 16.24 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई। वहीं, 7.5 लाख हेक्टेयर रकबा पिछले 19 महीने में जोड़ा गया।

असर- कृषि विकास दर तीन गुना बढ़ी

सिंचाई विस्तार की वजह से खेती की तस्वीर भी बदली है। साल 2002-03 में जहां कृषि विकास दर महज 3% थी, वहीं 2025 तक यह 10.80% तक पहुंच चुकी है। यानी 20 साल में यह दर करीब तीन गुना बढ़ी है।

फसल	2002-03	2025	बढ़ोतरी
खाद्यान्न	107.49	616.54	5 गुना से अधिक
धान	17.50	136.42	करीब 8 गुना
गेहूं	73.65	327.23	4 गुना से अधिक
तिलहन फसलें	31.44	103.00	3 गुना से अधिक

▪ सभी आंकड़े लाख हेक्टेयर में

आगे क्या : 2029 तक 71 परियोजनाएं पूर्ण करने का दावा

जल संसाधन विभाग के एसीएस डॉ. राजेश राजौरा के मुताबिक, प्रदेश में वर्ष 2029 तक 200 करोड़ से अधिक वाली निर्माणाधीन 71 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। इनमें से 39 परियोजनाएं जल संसाधन विभाग की तो 32 नर्मदा घाटी विकास विभाग की हैं। इन 71 सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने से 15.82 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इधर, नर्मदा घाटी विकास विभाग ने 32 परियोजनाओं को पूरा कर 16.72 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य तय किया है।

हाथियों का आतंक, 4 लोगों को कुचला

अंबिकापुर | सरगुजा जिले में हाथियों के झुंड ने बुधवार-गुरुवार को अलग-अलग घटनाओं में चार लोगों को कुचल कर मार डाला। इससे 19 गांवों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण मशाल जलाकर रात बिताने को मजबूर हैं। बुधवार शाम लुण्ड्रा वन परिक्षेत्र के ग्राम बेवरा में जंगली हाथी ने 60 वर्षीय राम कोरवा और उनकी 35 वर्षीय बेटी प्यारी को कुचल कर मार डाला। दोनों खेत से लौट रहे थे और अंधेरा होने के कारण हाथी के करीब पहुंच गए। भागने की कोशिश के बावजूद हाथी ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया और पटक दिया। घटना के बाद हाथी जंगल में भाग गया। वन विभाग और पुलिस को सूचित किया गया, जिन्होंने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिता-पुत्री को कुचलने वाले इसी हाथी ने बुधवार की सुबह करीब 4 बजे ग्राम बकिला में सनमेत बाई नामक महिला को भी कुचल दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

छत्तीसगढ़ देश का टॉप-4 विद्युत उत्पादक राज्य बना: बृजमोहन

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली/रायपुर

रायपुर से सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ ने 1.7 लाख मिलियन यूनिट (एमयू) से अधिक बिजली का उत्पादन कर देश की कुल 16.93 लाख एमयू विद्युत आवश्यकता में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस प्रदर्शन के साथ छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष चार विद्युत उत्पादक राज्यों में शामिल हो गया है। लोकसभा में सांसद ने देश में विद्युत आवश्यकता एवं उत्पादन की वर्तमान स्थिति, परमाणु ऊर्जा की उत्पादन क्षमता और देश में संचालित सभी परमाणु रिएक्टरों की सूची सहित विस्तृत जानकारी मांगी थी। केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक ने बताया कि वर्तमान में 8,780 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित है (राजस्थान की 100 मेगावाट क्षमता को छोड़कर जो शटडाउन में है)। सांसद ने केंद्र का आभार जताते हुए कहा, पीएम के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ की भूमिका इसमें गर्व का विषय है। छत्तीसगढ़ आने वाले समय में ऊर्जा हब बनने की दिशा में अग्रसर है और राज्य को केंद्र से और अधिक समर्थन प्राप्त हो, इसके लिए वे लगातार प्रयासरत हैं।

वैज्ञानिकों के साथ प्लान बनाएं

यूका की राख को आबादी से दूर नष्ट करें: हाई कोर्ट

जबलपुर| हाई कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कचरा जलाने से बची 850 टन जहरीली राख के विनष्टीकरण पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि मानव आबादी के पास इसका निपटारा खतरनाक होगा। इसलिए सरकार को वैज्ञानिकों के साथ मिलकर ऐसी जगह तय करने को कहा गया है जो पूरी तरह आबादी से दूर हो। कोर्ट ने प्लान तैयार कर 12 अगस्त तक पेश करने का समय दिया है। सरकार ने बताया कि 337 मीट्रिक टन टॉक्सिक कचरे को जलाने के बाद यह राख बची है, जिसे उसी इलाके में नष्ट करने की योजना है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ऋत्विक दीक्षित ने आपत्ति जताते हुए बताया कि राख में मरकरी मौजूद है, जो पर्यावरण और इंसानों के लिए गंभीर खतरा है। कोर्ट ने यह आपत्ति सही मानी। एक अन्य याचिकाकर्ता ने इसे न्यूयॉर्क भेजने का सुझाव दिया, लेकिन कोर्ट ने इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

फूड प्वाइजनिंग से दो की मौत नॉनवेज से बिगड़ी थी तबीयत

कोरबा| रजगामार चौकी क्षेत्र के कोरकोमा शिवनगर में खाना खाने के बाद दामाद व एक ही परिवार के 4 सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। परिजन सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा लेकर पहुंचे। इलाज के दौरान दो की मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, कोरकोमा शिव नगर निवासी राजाराम के घर में दामाद के लिए चिकन व मछली बनाई गई। इसे खाने के बाद राजाराम व उसके दामाद देव सिंह, परिवार के अन्य सदस्य चमेली बाई चौहान, राजमणि व उसके बेटे राजकुमार की तबीयत बिगड़ गई। रात में इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां राजमणि व देव सिंह की मौत हो गई। वहीं राजकुमार व राजाराम की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि चमेली बाई की हालत में सुधार है। पुलिस परिजन का बयान दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर फूड प्वाइजनिंग से तबियत बिगड़ने की आशंका जता रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पुलिस की जांच के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा। परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा खाना खाने से पहले कच्ची शराब पीने की की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस मामले की विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है।

वरुण कपूर डीजी जेल और यूसुफ कुरैशी डीआईजी ईओडब्ल्यू बने

भोपाल | गृह विभाग ने गुरुवार को भारतीय पुलिस सेवा के तीन अफसरों के ट्रांसफर किए। इनमें आईपीएस वरुण कपूर को एडीजी आरएपीटीसीए इंदौर से भोपाल ट्रांसफर करते हुए डीजी जेल बनाया है। कपूर 1 जून 2024 से बतौर स्पेशल डीजी आरएपीटीसीए में पदस्थ थे। उनके तबादले के बाद आरएपीटीसीए इंदौर का प्रभार विसबल इंदौर रेंज आईजी चंद्रशेखर सोलंकी को सौंपा गया है। इनके अलावा एडीजी मो. शाहिद अबसार ईओडब्ल्यू भोपाल से एडीजी चयन एवं भर्ती पुलिस मुख्यालय पदस्थ किया गया है। वे लगभग साढ़े चार साल से यहां पदस्थ थे। इसके साथ उन्हें एडीजी पीटीआरआई तथा संचालक मप्र पुलिस अकादमी भौंरी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं डीआईजी मो. युसुफ कुरैशी को सायबर सेल पुलिस मुख्यालय से डीआईजी ईओडब्ल्यू बनाया गया है।

अवैध हूटर, सायरन लगी गाड़ियों को हटाएं : कोर्ट

इंदौर | अवैध तरीके से सायरन, हूटर, नीली-पीली बत्तियां लगाकर दौड़ने वाले अपात्र वाहनों को हटाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत नहीं मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अंतरिम आदेश में आरटीओ, डीसीपी ट्रैफिक व अन्य को आदेश दिए हैं कि सात दिन के भीतर शहर में अभियान चलाकर निजी गाड़ियों से हूटर, बत्ती, वीआईपी स्टीकर, गलत नंबर प्लेट हटाई जाएं।

विधानसभा: तीन श्रम कानूनों में सरकार ने किया संशोधन

अब उद्योगों में हड़ताल व तालाबंदी के लिए 42 दिन पहले देनी होगी सूचना

पॉलिटिकल रिपोर्टर | भोपाल

विधानसभा में गुरुवार को श्रम कानूनों में सुधार से जुड़े मप्र श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी गई। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 22 में बदलाव करते हुए फैक्ट्री या कारखाने में हड़ताल से पहले 6 सप्ताह यानी 42 दिन पहले संचालक को सूचना देना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही संचालक के लिए भी नियम बनाया है।

ठेका श्रमिक रजिस्ट्रेशन

पहले : 20 या अधिक ठेका श्रमिकों पर ठेकेदार को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था।

अब: 50 से कम ठेका श्रमिक होने पर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी।

कारखाना अधिनियम

बिजली वाले कारखाने

पहले: 10 से ज्यादा श्रमिक होने पर रजिस्ट्रेशन जरूरी था।
अब: यह सीमा बढ़ाकर अब 20 श्रमिक कर दी गई है।

बिना बिजली वाले कारखाने

पहले: 20 श्रमिकों पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था।
अब: यह सीमा बढ़ाकर 40 श्रमिक कर दी गई है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra भारत सरकार का उद्यम एक परिवार एक बैंक

आंचलिक कार्यालय, इरकॉन इंटरनेशनल टावर, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-32, गुरुग्राम, हरियाणा - 122001

कब्जे की सूचना

चूँकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता/गारंटर को दिनांक 08.05.2025 को एक माँग सूचना जारी करते हैं, **उधारकर्ताः मेसर्स आर्केडियन (प्रोप. श्री विकास वर्मा)** पताः आईआईटीएम कॉलेज के निकट, जीटी रोड एनएच-44, मुरथल, सोनीपत, हरियाणा-131027 2. गारंटर का नामः श्री विकास वर्मा पुत्र श्री हरि प्रसाद वर्मा पताः मकान नंबर डीबी 695/2, बड़ा जैन मंदिर [illegible]

वाका रकबा मुरथल, अब जीटी रोड, आर.के. कॉलोनी, नगर निगम सीमा, सोनीपत, हरियाणा में स्थित फ्रीहोल्ड वाणिज्यिक निर्मित संपत्ति आईडी संख्या 224C2091U2P1, 244C2090U1, 244C2092U3, 224C2091U2 का समतुल्य बंधक, जिसका क्षेत्रफल 28707.25 वर्ग गज (44 कनाल और 69 मरला) है, श्री हरि पार्षद वर्मा पुत्र महेंद्र सिंह, श्रीमती उषा वर्मा पत्नी हरि पार्षद वर्मा और विकास वर्मा पुत्र श्री हरि पार्षद वर्मा के नाम पर। **और सीमाः मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार सीमाः** पूर्वः जी.टी. रोड, आईआईटीएम कॉलेज, पश्चिमः अन्य कृषि भूमि, उत्तरः पहलवान ढाबा, दक्षिणः रास्ता और आईआईटीएम कॉलेज। **कानूनी खोज के अनुसार सीमाः** पूर्वः संपत्ति का द्वार और जी.टी. रोड, पश्चिमः अन्य की खाली भूमि, उत्तरः श्रीमती रणबीरी की भूमि, दक्षिणः दुकान दीपू दमन शरम

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए
दिनांक 01.08.2025

बैंक ऑफ महाराष्ट्र गुरुग्राम अंचल के प्राधिकृत अधिकारी,

50 से ज्यादा अनुभवी और समर्पित सदस्यों की टीम, 2 हजार से अधिक क्लाइंट

सोलर एनर्जी का प्रतिक यानी टेकसन बायो, देश का भरोसेमंद नेटवर्क

दिव्य भास्कर MSME CONCLAVE & AWARDS 2025 Leadership to Dominance

आज जब भी सोलर एनर्जी और सोलर पैनल का नाम लिया जाता है, तो टेकसन बायो का नाम जरूर लिया जाता है। इसका कारण यह है कि सोलर प्रोजेक्ट और ईपीसी मैनेजमेंट के प्रतीक बने टेकसन बायो ने एक दशक में सूरत समेत देशभर में अपना नेटवर्क स्थापित किया है। आज टेकसन बायो सोलर एनर्जी क्षेत्र में महत्वपूर्ण माने जाने वाले ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल रूफटॉप और रेसिडेंशियल रूफटॉप, क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य कर रही है। इसके अलावा कंपनी एक्सपर्ट काउंसलिंग, इंजीनियरिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग और कमिशन सर्विस भी प्रदान कर रही है। वर्ष 2014 में आईआईटीबी एलुमिनी द्वारा स्थापित टेकसन बायो के एमडी तेजस पटेल के साथ सोलर एनर्जी, टेकसन बायो की एक दशक की कार्यप्रणाली, चुनौतियां, सफलताएं, नेटवर्क और भविष्य की दृष्टि पर चर्चा की गई थी।

सोलर एनर्जी क्षेत्र में प्रवेश के पीछे जिम्मेदार बात के विषय पर तेजस पटेलने बताया कि, आज देश और दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ऐसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश की जाए जिससे बिजली की बचत हो, प्रदूषण रहित और टिकाऊ (सस्टेनेबल) ऊर्जा मिले और अंततः उसका सीधा लाभ उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को हो। वर्तमान में रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली स्रोत सौर ऊर्जा (सोलर एनर्जी) है।

अधिक जानकारी देते हुए कहा कि कि मेरा दृष्टिकोण शुरू से ही यह था कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए हमें ज्यादातर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि हम सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कार्य करें, तो न केवल हमारी ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी बल्कि विकास के क्षेत्र में एक नया सूर्योदय होगा। बस यही कारण था कि मैंने अपने ज्ञान और कौशल के साथ सौर ऊर्जा क्षेत्र में कुछ नया

हासिल करने के उद्देश्य से कदम रखा।

टेकसन बायो की सर्विस और नेटवर्क पर चर्चा करने से पहले एक गुजराती होने के नाते हमारे लिए गर्व की जो बात है उस पर थोड़ी सी नजर डालना जरूरी है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की सोलर एनर्जी उत्पादन क्षमता 748 मेगावॉट है। सोलर एनर्जी उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, जबकि गुजरात दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन यह जानकर आपको खुशी होगी कि वर्ष 2024 में 28220 मेगावॉट की क्षमता के साथ गुजरात ने रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में 'हाईएस्ट अचीवर स्टेट इन ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी अवॉर्ड' प्राप्त किया था। इससे भी ज्यादा गर्व की बात यह है कि आज देश में 66% सौर ऊर्जा गुजरात द्वारा उत्पादित की जाती है।

अब जब हम टेकसन बायो की सर्विस और नेटवर्क की बात करें तो हमारी मुख्य सेवाएं चार प्रमुख विभागों में विभाजित हैं:

ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल रूफटॉप और रेसिडेंशियल रूफटॉप। जहां तक नेटवर्क का सवाल है तो आज टेकसन बायो का नेटवर्क सूरत सहित पूरे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और केरला समेत देशभर में फैला हुआ है।

प्रश्न: गुजरात में इंडस्ट्रियल रूफटॉप की आवश्यकता और संभावना के बारे में बताइए।

तेजस पटेल: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुजरात एक औद्योगिक राज्य है, जहाँ विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाली मध्यम स्तर की और बड़ी-बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। इन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बिजली की आवश्यकता होती है। कॉस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से ये कंपनियां भी चाहती हैं कि वे महंगी इंडस्ट्रियल बिजली खरीदने के बजाय ऐसा कोई विकल्प अपनाएं जो कम लागत में और निरंतर सप्लाई देने वाला हो। इसीलिए इंडस्ट्रियल रूफटॉप सोलर सिस्टम उद्योगों के लिए दोनों ही दृष्टियों से आर्थिक और तकनीकी लाभकारी सिद्ध होता है। दूसरी ओर, इंडस्ट्रियल रूफटॉप सोलर पर्यावरण की दृष्टि से भी अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि यह एक प्रदूषण रहित ऊर्जा का श्रेष्ठ विकल्प है। अब सोचिए उन राज्यों के बारे में जहां बिजली की कटौती घंटों नहीं बल्कि दिनों तक होती है। सिर्फ कुछ घंटों की बिजली कटौती से ही उत्पादन और सर्विस सेक्टर को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है तो उन राज्यों के लिए टेकसन बायो का रूफटॉप सोलर सिस्टम किसी जीवनदायिनी (संजीवनी) से कम नहीं है।

प्रश्न: रेसिडेंशियल रूफटॉप की क्या स्थिति है?

तेजस पटेल: देखिए, हमारे एक दशक की यात्रा के दौरान हमने देखा कि रेसिडेंशियल रूफटॉप के प्रति पहले जितनी जागरूकता नहीं थी, वह आज देखने को मिल रही है। जैसे एक इंडस्ट्रियल यूनिट बिजली की यूनिट और उसकी लागत के बारे में सोचती है, वैसे ही अब व्यक्तिगत स्तर पर भी यह मुद्दा उतना ही विचारणीय बन गया है। इसी कारण अब रो हाउस, सोसाइटी, बंगले से लेकर अपार्टमेंट और मोहल्लों तक रेसिडेंशियल रूफटॉप का विस्तार हुआ है। यदि लोग इस मुद्दे पर तेजी से सोचेंगे तो इसका लाभ उन्हें ही मिलेगा। सबसे खुशी की बात यह है कि आज रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में टाटा पावर सबसे अग्रणी है।

प्रश्न: क्या आप अपनी टीम के बारे में कुछ बताएंगे?

तेजस पटेल: टेकसन बायो के पास 50 से अधिक अनुभवी लोगों की एक टीम है। किसी भी कंपनी की सफलता के पीछे उसकी टीम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। टेकसन बायो की प्रतिबद्ध और अनुभवी टीम कंपनी के विस्तार और इसकी सेवाओं के लिए हमेशा सक्रिय रहती है।

प्रश्न: टेकसन बायो की अन्य सेवाएं और उत्पाद कौन - कौन से हैं?

तेजस पटेल: टेकसन बायो बड़े पैमाने पर पावर प्रोजेक्ट, सोलर पंप और कृषि क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं और उत्पाद प्रदान करता है।

प्रश्न: आपके लिए गर्व का पल

तेजस पटेल: टेकसन बायो का निरंतर विस्तार मेरे लिए गर्व का पल होता है। वर्ष 2024 में प्राप्त एक्सीलेंस इन सोलर इंडस्ट्री अवॉर्ड ने केवल मेरा ही नहीं बल्कि पूरी टीम के आत्मविश्वास को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। यह हमारे काम की सराहना थी, हमारा मूल्यांकन था और समाज ने हम पर जो विश्वास रखा उसका परिणाम था।

TECH SUN BIO GREEN ENERGY PVT LTD | 1010, International Wealth Centre (IWC), VIP Road, Vesu, Surat - 395007 | 99253 36536

एमपी : जंगल में पेड़ों को काटने से मिली लकड़ी अब कृषि उपज, नहीं लगेगा जीएसटी

भोपाल | जंगल से काटी जाने वाली लकड़ियों को अब व्यावसायिक उपज नहीं माना जाएगा। इसे कृषि उपज मानते हुए कर मुक्त कर दिया गया है। छिंदवाड़ा, सिवनी, खंडवा और मंडला डिवीजन के सीजीएसटी सहायक आयुक्त की ओर से चार अलग-अलग आदेशों में वन विकास निगम पर सीजीएसटी की 1.93 करोड़ की मांग और इस पर ब्याज और पेनाल्टी के 6 करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। सभी आदेश मार्च 2025 में सीजीएसटी भोपाल के प्रधान आयुक्त (अपील) द्वारा जारी किए गए उस आदेश के आधार पर दिए गए हैं जिसमें स्पष्ट किया गया था कि वन विकास निगम की रोपण और वनीकरण सेवाएं जीएसटी से मुक्त हैं।

वायु सेना विद्यालय फरीदाबाद में रिक्ति

1. वायु सेना विद्यालय फरीदाबाद में निम्नलिखित पद के लिए रिक्ति उपलब्ध है।

पद का नाम	पद की संख्या	वेतनमान
स्पेशल एजुकेटर (संविदा पर)	01	21,500/- (एकमुश्त राशि)

2. उपरोक्त दर्शाए गए पद के लिए योग्यता मापदंड एवम बायोडाटा सहित आवेदन पत्र वायु सेना विद्यालय के कार्यालय तथा वेबसाइट (www.afschoolfaridabad.com) में उपलब्ध है। **उपर्युक्त वेतनमान संशोधनाधीन है।** योग्य उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र जोकि विद्यालय के कार्यालय / वेबसाइट में उपलब्ध है के साथ स्व अभिप्रमाणित दस्तावेज संलग्न कर वायु सेना विद्यालय, फरीदाबाद या ई-मेल afschoolfaridabad@gmail.com में **17 अगस्त 2025** तक जमा कराएं। विद्यालय के कार्यालय/वेबसाइट में उपलब्ध बायोडाटा सहित आवेदन पत्र के अलावा किसी अन्य प्रारुप में जमा किया गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। (डाक का पता- प्रधानाध्यापक, वायु सेना विद्यालय, वायु सेना स्टेशन, फरीदाबाद, डबुआ कॉलोनी, एन आई टी फरीदाबाद 121005)।
अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित फोन नंबरों पर संपर्क करेः विद्यालय के कार्यालय का मोबाईल नंबर-प्रधानाध्यापक 9891559279 / लेखा सहायक-8447576321)

दिनांकः- 31 जुलाई 2025

कार्यकारी निदेशक
वायु सेना विद्यालय, फरीदाबाद

टिप्पणीः- विद्यालय प्रबंधन समिति विज्ञापन के बाद भी किसी भी स्तर पर बिना किसी सूचना के या कोई कारण बताए चयन प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

भारत पेट्रोरिसोर्सेस लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
(भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
बीपीसीएल 'ए' इंस्टॉलेशन, दूसरी मंजिल, अमेनिटीज ब्लॉक, सेवरी, मुंबई - 400 015, भारत

परामर्शदाताओं की सूचीबद्धता

भारत पेट्रोरिसोर्सेज लिमिटेड (बीपीआरएल) निम्नलिखित परामर्शदाताओं की सूचीबद्धता की तलाश में है:

क्र.सं.	विषय	क्र.सं.	विषय
1.	जियोसाइंस	5.	रेजरवोयर इंजीनियरिंग
2.	पेट्रोफिजिक्स	6.	प्रोडक्शन एंड कंप्लीशन इंजीनियरिंग
3.	मड इंजीनियरिंग	7.	फैसिलिटीज प्लानिंग, डिज़ाइन एंड कॉस्टिंग
4.	ड्रिलिंग इंजीनियरिंग		

सूचीबद्धता का विवरण बीपीआरएल की वेबसाइट **http://www.bharatpetroresources.in** पर Tender→Empanelment of Consultants के अंतर्गत और **http://www.bharatpetroleum.in** पर Tenders→View Tenders→Search with empanelment of consultants के अंतर्गत उपलब्ध होगा।
इस सूचीबद्धता से संबंधित शुद्धिपत्र/परिशिष्ट/निर्धारित तारीख का विस्तार आदि, यदि कोई हो, तो उसे सिर्फ वेबसाइट **http://www.bharatpetroresources.in** पर और/या **http://www.bharatpetroleum.in** पर ही अपलोड किया जायेगा, तथा किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जायेगा। **आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 14.08.2025 को दोपहर 2:00 बजे है।** स्पष्टीकरण के लिए, कृपया इस पर संपर्क करेः दूरभाष : **+91 9619585577**/ ईमेल आईडीः **manoj.maurya@bharatpetroresources.in**

हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
सीआईएन : L35301KA1963GOI001622
HAL — महारत्न सीपीएसई —

पंजीकृत कार्यालय : 15/1, कब्बन रोड, बेंगलूरु-560001
दूरभाष : 080-22320001 ई-मेल : investors@hal-india.co.in
वेबसाइट : www.hal-india.co.in

62वीं वार्षिक आम बैठक एवं ई-वोटिंग सूचना संबंधी नोटिस

कंपनी अधिनियम 2013, जिसके अधीन बनाए गए नियम एवं सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 मई 2020 के सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 एवं तत्पश्चात् समय-समय पर जारी परिपत्र, दिनांक 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र सं.09/2024 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी परिपत्रों (इसके बाद से सामूहिक रूप से इन्हें **'परिपत्रों'** के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के अनुपालन में, इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि एजीएम ('नोटिस') की सूचना में यथावर्णित कारोबार करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से **गुरुवार, दिनांक 28 अगस्त, 2025 को अपराह्न 3.30 बजे (आईएसटी)** 62वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन किया जाएगा।

62वीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस एवं वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 इलेक्ट्रॉनिक मोड से उन सभी सदस्यों को पहले ही प्रेषित की जा चुकी है, जिनकी ई-मेल आईडी डिपाजिटरी सहभागी (यों) के साथ रजिस्टर्ड हैं। ऐसे सदस्य, जिन्हें वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रति की आवश्यकता है, तो वे अपनी डीपी आईडी और ग्राहक आईडी का उल्लेख करते हुए इसके लिए अनुरोध कर सकते हैं। आगे, ऐसे सदस्य, जिनकी ईमेल आईडी डिपाजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें वेब-लिंक प्रदान करते हुए एक पत्र प्रेषित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वे वार्षिक रिपोर्ट देख सकते हैं। इन दस्तावेजों को कंपनी की वेबसाइट, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रान्सफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("दि आरटीए") एवं स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः https://hal-india.co.in/Investors, https://evoting.kfintech.com, www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर उपलब्ध किया गया है। यह नोट किया जाए कि एजीएम की नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करने से संबंधित कार्य दि. 30/07/2025 को पूरा किया गया है।

1. ई-वोटिंग [illegible]

[illegible]

2. अंतिम लाभांश [illegible]

[illegible]

3. लाभांश [illegible]

[illegible]

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
ह/-
(शैलेश बंसल)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 31/07/2025